संख्या-62/2026/173के-2/22-3-2025-17(308)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 17 मार्च, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दिनेश शाहू पुत्र श्री वीरेन्द्र शाहू, निवासी जनपद-बिलासपुर (छत्तीसगढ़) हाल जनपद-आगरा की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-3591/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम0-21.01.2025 दिनांक-28.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दिनेश शाहू पुत्र श्री वीरेन्द्र शाहू, नौरंगपुर, थाना-पड़रिया, जनपद-बिलासपुर (छत्तीसगढ़), हालपता-झोपड़ी फ्रैन्डस पैलेस की बगल में मऊ रोड, थाना-खन्दारी, जनपद-आगरा (उत्तर प्रदेश) का निवासी है। फिरौती के उद्देश्य से 07 लाख रूपये की मांग को लेकर दिनांक 15.06.2005 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अमर उर्फ जीवन व विक्टर उर्फ पोटन का अपहरण कर गला दबाकर हत्या कर दी तथा दोनों की लाश को दबा दिया। उक्त अपराध में बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-121/2005, आईपीसी की धारा-364ए, 302, 201 में मा० न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0), आगरा के आदेश दिनांक 13.04.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01.01.2024 तक 16 वर्ष, 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष, 07 माह, 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है एवं बन्दी की आयु 44 वर्ष, 04 माह, 01 दिन है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित होने, समय से पूर्व रिहा किया जाता है तो अवश्य ही पुन: अपराध में संलिप्त होने, पुन: अपराध कारित करने में सक्षम है वह अपराध कारित करने में अशक्त नहीं होने, समय से पूर्व रिहा करने पर वह हाजिर अदालत नही होगा और फरार होने की भी प्रबल सम्भावना होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड द्वारा सिद्धदोष बंदी दिनेश शाहू पुत्र वीरेन्द्र शाहू की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रकरण में फिरौती के उद्देश्य से सात लाख रूपये की मांग को लेकर दिनांक 15.06.2005 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अमर उर्फ जीवन व विक्टर उर्फ पोटन का अपहरण कर गला दबाकर हत्या कर दी तथा दोनों की लाश को दबा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

दिये जाने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, अपर पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, अपर पुलिस आयुक्त तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी दिनेश शाहू पुत्र वीरेन्द्र शाहू को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दिनेश शाहू (बन्दी संख्या-15716) पुत्र श्री वीरेन्द्र शाहू, निवासी जनपद--बिलासपुर (छत्तीसगढ़) हाल जनपद-आगरा को फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार बंदी के फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकः यथोपरि।</u>

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैवः</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, आगरा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री को सूचनार्थ।
4- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-62/2026/173के-2/22-3-2025-17(308)/2025

दिनांक 17 मार्च, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दिनेश शाहू पुत्र श्री वीरेन्द्र शाहू, नौरंगपुर, थाना-पड़रिया, जनपद-बिलासपुर (छत्तीसगढ़), हालपता-झोपड़ी फ्रैन्डस पैलेस की बगल में मऊ रोड, थाना-खन्दारी, जनपद-आगरा (उत्तर प्रदेश) का निवासी है। फिरौती के उद्देश्य से 07 लाख रूपये की मांग को लेकर दिनांक 15.06.2005 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अमर उर्फ जीवन व विक्टर उर्फ पोटन का अपहरण कर गला दबाकर हत्या कर दी तथा दोनों की लाश को दबा दिया। उक्त अपराध में बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-121/2005, आईपीसी की धारा-364ए, 302, 201 में मा० न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0), आगरा के आदेश दिनांक 13.04.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01.01.2024 तक 16 वर्ष, 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष, 07 माह, 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है एवं बन्दी की आयु 44 वर्ष, 04 माह, 01 दिन है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित होने, समय से पूर्व रिहा किया जाता है तो अवश्य ही पुनः अपराध में संलिप्त होने, पुनः अपराध कारित करने में सक्षम है वह अपराध कारित करने में अशक्त नहीं होने, समय से पूर्व रिहा करने पर वह हाजिर अदालत नही होगा और फरार होने की भी प्रबल सम्भावना होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड द्वारा सिद्धदोष बंदी दिनेश शाहू पुत्र वीरेन्द्र शाहू की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रकरण में फिरौती के उद्देश्य से सात लाख रूपये की मांग को लेकर दिनांक 15.06.2005 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अमर उर्फ जीवन व विक्टर उर्फ पोटन का अपहरण कर गला दबाकर हत्या कर दी तथा दोनों की लाश को दबा दिये जाने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, अपर पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, अपर पुलिस आयुक्त तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी दिनेश शाहू पुत्र वीरेन्द्र शाहू को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in